न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/132/2022
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/287
प्रवेश तिथि 05.12.2022

अपीलार्थी
श्री धनीराम पुत्र फतेहराम ,
निवासी–ग्राम व पोस्ट–दिवाकरी,
तहसील व जिला–अलवर

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी अलवर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 16.01.2023

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं और ना ही कोई जवाव नोटिस प्राप्त हुआ।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रत्यर्थी को प्रा0पत्र दिनांकः 17.10.22 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर नगरीय क्षेत्र में गैर खातेदारी (कस्टोडियन) से खातेदारी, ग्राम–भाखेडा तह. अलवर अंतर्गत भूमि की सम्पूर्ण पत्रावली की फोटोप्रति चाही गई थी।
5. उक्त आवेदन में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 21.11.22 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर न्यायालय में उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। इस संबंध में ई–मेल के माध्यम से भी निर्देशित किया गया।
7. किन्तु प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही आदिनांक तक किसी प्रकार का जवाब नोटिस ही प्राप्त हुआ।
8. **अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है।**
9. प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांक 17.10.22 के अनुसार उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के 15 दिवस में अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध **वांछित सूचनाएं बिन्दुवार नियमानुसार स्पष्ट रूप से अभिप्रमाणित कर निःशुल्क ही पंजीकृत पत्र** के माध्यम से उपलब्ध कराई जावे यदि सूचना अभिलेख पर उपलब्ध ना हो तो भी तदनुसार अपीलार्थी को सूचित करें।
10. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की कठोरता, समयबद्धता से पालना के लिए जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे। RTI आवेदनों को विलम्बित नहीं किया जावे।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. निर्णय घोषित ।

(नवीन यादव)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० ★ प्रशासन (द्वितीय) अलवर ★
राजस्थान सरकार